Clearance of U.P. Tubewell Projects

962. SHRI SANGH PRIYA GAUTAM : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether the Government of Uttar Pradesh has submitted 3rd U.P. Tubewell Projects for assistance of the World Bank;

(b) if so, whether this Project has been submitted to World Bank, if not, the reasons therefor;

(c) if so, what is the response of the World Bank; and

(d) whether Government would pursue it with World Bank for its early clearance ?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI V. C. SHUKLA) : (a), (b) and (d) YES, Sir.

(c) The World Bank has raised a number of issues,' *inter alia,* relating to performance of tubewells installed with World Bank assistance earlier, farmer's investment in shallow wells and transfer of ownership of existing deep tubewells to farmers groups, Water Users' Associations or Panchayats, very high subsidies on rurall electricity and the danger of over exploitation of ground water. The World Bank has also suggested that officers from Government of Uttar Pradesh should visit other States in Northern and Eastern India and Bangladesh to get experience of passing over public tubewells to private or community ownership. The World Bank is not satisfied with the steps taken by the Government of Uttar Pradesh to resolve the issues. The Government of Uttar Pradesh has given point-wise clarifications on the issues raised by the World Bank on 5th November, 1992.

हरियाणा के स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

963. **श्री महेन्द्र सिंह साठर** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वैच्छिक और समाज सेवी संगठनों द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं; यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान इन संस्थाओं को दिए गए अनुदानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन संगठनों को अनुदान देने के मामले में सरकार द्वारा क्या-क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; हरियाणा में ऐसी संस्थाओं की संख्या कितनी है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्हें वर्ष-वार कितना-कितना अनुदान दिया गया है; और

(ग) जिन आवेदन पत्रों को अपूर्ण पाया आवेदन रद्द कर दिए गए या जिन्हें अनुदान नहीं दिए गए तथा इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां । एक विवरण- सभा पटल पर रख दिया गया है । **(नीचे देखिए)**

(ख) एक विवरण-II सभा पटल पर रख दिया गया है । **(नीचे देखिए)**

(ग) जिन आवेदन पत्रों को अपूर्ण पाया जाता है उन्हें संबंधित संगठन को हमारी टिप्पणियों के साथ वापस कर दिया जाता है । ऐसे आवेदन पत्रों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

विवरण–1

हरियाणा में स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान 1989–90 रु०	1990–91 रु०	1991–92 रु०
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	48,44,004	80,99,873	1,04,79,099
2.	अरुणाचल प्रदेश	4,88,000	25,81,000	33,41,000

1	2	3	4	5
3.	आसाम	14,15,769	28,80,704	32,09,085
4.	बिहार	27,66,395	59,90,683	74,88,436
5.	दिल्ली	2,86,76,718	3,21,91,501	2,98,37,417
6.	गुजरात	79,89,702	68,58,886	66,17,683
7.	गोवा	2,95,874	7,22,295	11,81,456
8.	हरियाणा	37,07,493	50,54,912	64,48,819
9.	हिमाचल प्रदेश	11,73,000	3,94,000	2,90,000
10.	जम्मू और कश्मीर	5,84,750	5,53,384	8,85,849
11.	कर्नाटक	49,49,787	68,17,280	68,03,150
12.	केरल	52,02,106	77,64,344	86,48,760
13.	मध्य प्रदेश	24,74,354	32,21,389	29,56,421
14.	महाराष्ट्र	1,30,20,328	1,44,48,466	1,38,53,496
15.	मणिपुर	17,67,872	24,59,100	68,77,319
16.	मेघालय	25,28,000	27,28,159	37,73,550
17.	मिजोरम	15,07,528	16,00,216	17,45,810
18.	नागालैण्ड	5,27,712	9,78,973	15,79,190
19.	उड़ीसा	29,42,125	36,76,253	33,45,711
20.	पंजाब	39,22,185	38,35,074	28,65,545
21.	राजस्थान	65,72,533	82,86,664	76,12,176
22.	सिक्किम	1,39,665	1,10,700	13,15,822
23.	तमिलनाडु	59,81,667	79,08,392	87,20,434
24.	त्रिपुरा	2,80,500	3,63,624	7,35,061
25.	उत्तर प्रदेश	86,90,344	1,01,85,375	1,44,22,837
26.	पश्चिम बंगाल	1,49,29,015	5,48,43,446	5,87,81,307
27.	चण्डीगढ़	6,15,905	6,04,510	1,85,000
28.	पांडिचेरी	5,91,930	2,87,150	1,88,700

विवरण-II

ब्यूरो शीर्षक के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देने के लिए अपनाए मानदण्ड इस प्रकार हैं :—

1. विकलांग ब्यूरो

(1) विकलांग संगठनों को सहायता

मंत्रालय से वित्तीय सहायता चाहने वाले नए संगठनों के मामले में सामान्यतः प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं । स्वीकृत परियोजना के मामले में किसी वित्तीय विशेष वर्ष के संबंध में दूसरी तथा अंतिम किस्त, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद निर्मुक्त की जाती है ।

(2) विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र और उपकरण खरीदने/लगाने के लिए सहायता

यह योजना कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियों, पंजीकृत सोसाइटियों,

न्यासों या किसी अन्य संस्थानों जिन्हें इस प्रयोजन के लिए कल्याण मंत्रालय की मान्यता प्राप्त है, द्वारा संचालित केन्द्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी । कार्यान्वयन एजेन्सियां निर्धारित फार्म में अपने आवेदन अपनी वार्षिक जरूरतें दर्शाते हुए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से एक वर्ष में एक बार कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगी ।

2. अनुसूचित जाति विकास

(1) स्वैच्छिक संगठनों को भारतीय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत एक रजिस्टर्ड संस्था होना चाहिए ।

(2) यह संगठन विश्वसनीय और इसके द्वारा प्रस्तावित योजना आरम्भ करने में सक्षम होना चाहिए ।

(3) संगठन को अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए कल्याण क्रियाकलापों का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।

(4) संगठन द्वारा प्रस्तावित योजना उस क्षेत्र के लिए साध्य और व्यवहार्य होनी चाहिए जहां उस क्षेत्र की अनुसूचित जाति/जनजाति के संदर्भ में इस योजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है ।

(5) संगठन का प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार/संबंधित राज्य में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा संस्तुत की गई होनी चाहिए ।

3. आदिवासी विकास

(1) यह अनुदान सामान्यतः अनुमोदित व्यय के 90% तक सीमित होता है ।

(2) संगठन को इसके लिए एक से अधिक स्रोतों से सहायता स्वीकार करनी चाहिए ।

(3) सहायता अनुदान के जरिए चिला पोषित संगठन द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधा निःशुल्क होनी चाहिए। लाभग्राहियों पर किसी प्रकार का अंशदान अथवा शुल्क नहीं लगाया जाएगा ।

(4) निधियों का उपयोग किसी दल अथवा राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए ।

(5) संगठन को सरकारी कार्यालयों के कभी-कभार किए जाने वाले दौरों के प्रति सहमति व्यक्त करनी चाहिए तथा योजनाओं के प्रगामी कार्यकरण संबंधी सुझावों पर विचार करना चाहिए ।

4. अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग

इस योजना का क्रियान्वयन अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शिक्षण/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन करने में पर्याप्त अनुभव रखने वाले ख्याति प्राप्त अल्पसंख्यक स्वैच्छिक संगठनों, अधिमानतः जिनके पास अच्छे संकाय, पुस्तकालयों, शिक्षण-कोचिंग के साधन और होस्टलों/शयनागारों सहित समुचित आवास उपलब्ध हों, के माध्यम से किया जाएगा ।

5. समाज रक्षा और बाल कल्याण

(1) योजना के अंतर्गत उन संगठनों को सहायता दी जाती है जो सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, कम्पनी अधिनियम इत्यादि के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं अथवा जिनकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है और जो तीन वर्षों की अवधि से अस्तित्व में हों और जिनमें आवेदनों की संस्तुति संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की गई हो ।

(2) यह अनुदान स्वैच्छिक संगठनों/संस्थानों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, रेड-क्रास सोसायटियों आदि को दिया जाता है । संगठनों को सहायता अनुदान के लिए आवेदन करने से पूर्व कम से कम दो वर्षों से अस्तित्व में होना चाहिए । स्वैच्छिक संगठनों से अभिप्राय यह है कि :

(क) भारतीय सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 (1860 का अधिनियम 21) के अंतर्गत पंजीकृत कोई सोसायटी, अथवा

(ख) एक लाभ-निरपेक्ष दातव्य कम्पनी, अथवा

(ग) सम्प्रति प्रचलित किसी कानून के तहत पंजीकृत कोई सार्वजनिक ट्रस्ट, अथवा

(घ) समाज कल्याण के संचालन तथा संवर्धन में कार्यरत कोई गैर-सरकारी पंजीकृत संगठन ।

जिसमें तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत हुईं संस्थाओं की अनुदान की राशि सहित संख्या

क्रम सं०	वर्ष	संस्थाओं की संख्या	सहायता अनुदान (रु०)
1.	1989–90	11	37,07,493
2.	1990–91	11	50,54,912
3.	1991–92	18	64,48,819

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

964. श्री कैलाश नारायण सारंग : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियों की दर की, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के आरम्भ में 1 जुलाई को प्रचलित मूल्य-सूचकांक के आधार पर, समीक्षा करना अपेक्षित होता है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की दर की आवधिक समीक्षा की जाती है परन्तु प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में नहीं । इसकी इस वर्ष समीक्षा की गई थी लेकिन पर्याप्त वित्त के अभाव में, योजना आयोग इसमें आगे संशोधन करने के लिए सहमत नहीं हो सका ।

Inclusion of seme communities of' Assam in ST List

965. SHRI BHADRESWAR GOHAJN : Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) what is the number of memorandum received by Government to include certain communities of Assam in Scheduled Tribe list;

(b) what are the details thereof and the decision of Government on these memorandums:

(c) whether any Bill to this effect would be introduced hi the current session of Parliament: and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI S1TARAM KESRI) : (a) to (d) In all eleven representations have been received during 1991 and 1992 for inclusion of certain communities in the list of Scheduled Tribes in Assam. These representations are being considered alongwith similar other proposals in the context of the comprehensive revision of lists of Scheduled Castes/Scheduled Tribes. Any amendment in the existing list of Scheduled Tribes can only be made through an Act of Parliament as laid down in Atticle 342 (2) of the Constitution.

नशा-निवारण अभियान

966. डा. बापू कालिदास : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण योजना के अंतर्गत चलाया गया नशा-निवारण अभियान पूरी तरह विफल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार नशा-निवारण अभियान के कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार ने 2 अक्तूबर, 1992 से लोगों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध निवारक शिक्षा के माध्यम से चेतना सृजन हेतु वर्ष भर का एक नया विशाल अभियान आरम्भ किया है । इसके अंतर्गत